राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(201) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/सरपंच संघ/2024–25 जयपुर, दिनांक–यथा हस्ताक्षरित

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः– विभागीय ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 में वर्णित बिन्दु संख्या 10 एवं परिशिष्ट 2 पर वर्णित प्रावधानों के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले विभिन प्रकार के निर्माण कार्यो को तकनीकी, सुगमता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से उनका क्रियान्वयन करने हेतु दिनांक 14.08.2025 से विभागीय ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2025 लागू की गई है।

विभागीय ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2025 के बिंदू संख्या 10 में " भूमि स्वामित्व तय करने एवं कार्य को विवाद से बचाने का दायित्व" एवं परिशिष्ट–2 "सामान्य तौर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक जमीन का विवरण" से संबंधित प्रावधान वर्णित है। उक्त प्रावधानों के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर, बून्दी, चित्तौडगढ, जयपुर, जोधपुर आदि जिलों से प्राप्त पत्रों द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण के क्रम में परिशिष्ट–2 पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिये आवश्यक जमीन के संबंध में बिन्दुवार, गतिविधिवार निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करावें :–

परिशिष्ट–2 :–सामान्य तौर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिये आवश्यक जमीन का विवरण :–

बिन्दु स.	प्रथम बार निर्मित होने वाली गतिविधि	जमीन की किस्म	अनुमत / अनुमत नही	अनुमत करने की व्यवस्था (जीकेएन 2025 में वर्णित)	अपेक्षित कार्यवाही/मार्गदर्शन
1	2	3	4	5	6
1	नवीन आंगनबाडी भवन, नवीन विद्यालय, नवीन सामुदायिक भवन, नवीन पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, वाचनालय प्याउ,एवम् अन्य राजकीय भवन तथा नवीन जल स्रोत लगाना इत्यादि	आबादी	अनुमत नही	गतिविधि के नाम आंवटन / पट्टा जारी कराना	सक्षम प्राधिकारी /संस्था से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
		रास्ता/गोवा	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	सामान्यतः नदी, नाला, तालाब के भराव क्षेत्र में, रेलवे लाईन, सड़क की सीमा आदि में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत एवं निर्मित नहीं किया जावेगा परन्तु सार्वजनिक शौचालय, नालीयां, नाला, ट्यूबवैल, बोरिंग, टंकी, हैंडपम्प आदि बनाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर आपत्तियां मांगी जा कर ग्राम पंचायत के कॉरम में यथोचित निर्णय लिया जा कर शिथिलन किया जा सकेगा उपरोक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के रिकार्ड में लिपिबद्ध होना अनिवार्य है।
		वन/अरण्य	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
		खातेदारी	अनुमत नही	<u>दान/समर्पण</u> करवाकर नामांतरण द्वारा	कार्य, परिसम्पतिया जो पहली बार निर्मित की जावेंगे (जैसे नवीन आंगनबाडी भवन, नवीन विद्यालय, नवीन सामुदायिक भवन, नवीन पंचायत भवन आदि कार्य) की भूमि स्वामित्व राजकीय कार्यालयों/ग्राम पंचायतों के नाम होना अनिवार्य है। नवीन जल स्त्रोत (टंकी, टांका, हैण्डपम्प, ट्यूबवैल,

					पाईपलाईन) एवं सड़क निर्माण के प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों से स्टाम्प पेपर पर सहमति ली जा कर राजकीय भूमि के खातें में दर्ज करवाकर कार्यवाही की जा सकेगी। भूमि उपहार में लेना – किसी भी परिसम्पति निर्माण हेतुदान–दाताओं से भूमि संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग द्वारा दान/उपहार स्वरूप ली जा सकती है। यह कार्यवाही तब ही पूर्ण मानी जावेगी जब भूमि के सभी स्वामियों द्वारा पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष मे ंआवश्यक दस्तावेज निष्पादित कर दिये गये है एवं इस भूमि का नामान्तरण भी संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं भूमि की तरमीम करवा कर सीमा ज्ञान करवा दिया गया है। किसी भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियो / परिवारो का मालिकाना हक होने पर सभी भूमि–स्वामियों की सहमति ली जा कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणिकरण अनिवार्य होगा।
3	सार्वजनिक शौचालय	आबादी	अनुमत नही	गतिविधि के नाम आंवटन / पट्टा जारी कराना	सक्षम प्राधिकारी /संस्था से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
		रास्ता/गोवा	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	सक्षम प्राधिकारी/संस्था से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
		वन/अरणय	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
		खातेदारी	अनुमत नही	दान/समर्पण करवाकर नामांतरण तथा खसरा मेप में लोकेशन दर्ज करवाकर	भूमि उपहार में लेना – किसी भी परिसम्पति निर्माण हेतुदान–दाताओं से भूमि संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग द्वारा दान/उपहार स्वरूप ली जा सकती है। यह कार्यवाही तब ही पूर्ण मानी जावेगी जब भूमि के सभी स्वामियों द्वारा पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष मे ंआवश्यक दस्तावेज निष्पादित कर दिये गये है एवं इस भूमि का नामान्तरण भी संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं भूमि की तरमीम करवा कर सीमा ज्ञान करवा दिया गया है। किसी भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियो / परिवारो का मालिकाना हक होने पर सभी भूमि–स्वामियों की सहमति ली जा कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणिकरण अनिवार्य होगा।
4	मॉडल तालाब	गोचर/चारागाह	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
5	नाडी/तालाब/जोहड़ में डिसिल्टिंग तथा रिनोवेशन का कार्य	गोचर/चारागाह	अनुमत	आवश्यकता नही	संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
6	ग्रेवल सड़क	खातेदारी	अनुमत नही	दान/समर्पण करवाकर नामांतरण तथा खसरा मेप में लोकेशन दर्ज करवाकर	कार्य, परिसम्पतिया जो पहली बार निर्मित की जावेंगे (जैसे नवीन आंगनबाडी भवन, नवीन विद्यालय, नवीन सामुदायिक भवन, नवीन पंचायत भवन आदि कार्य) की भूमि स्वामित्व राजकीय कार्यालयों/ग्राम पंचायतों के नाम होना अनिवार्य है। नवीन जल स्त्रोत (टंकी, टांका, हैण्डपम्प, ट्युबवैल, पाईपलाईन) एवं सड़क निर्माण के प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों से स्टाम्प पेपर पर सहमति ली जा कर राजकीय भूमि के खातें में दर्ज करवाकर कार्यवाही की जा सकेगी।
7	सी.सी. सड़क/पत्थर खरंजा/इंटरलॉकिंग सी.सी. ब्लॉक खरंजा	खातेदारी	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	कार्य, परिसम्पतिया जो पहली बार निर्मित की जावेंगे (जैसे नवीन आंगनबाडी भवन, नवीन विद्यालय, नवीन सामुदायिक भवन, नवीन पंचायत भवन आदि कार्य) की भूमि स्वामित्व राजकीय कार्यालयों/ग्राम पंचायतों के नाम होना अनिवार्य है। नवीन जल स्त्रोत (टंकी, टांका, हैण्डपम्प, ट्युबवैल, पाईपलाईन) एवं सड़क निर्माण के प्रकरणों में संबंधित भूमि स्वामियों से स्टाम्प पेपर पर सहमति ली जा कर राजकीय भूमि के खातें में दर्ज

RajKaj Ref No.:
21852567
eSign DSC

					करवाकर कार्यवाही की जा सकेगी।
8	मुक्तिधाम विकास	आबादी	अनुमत नही	आंवटन करवाकर	सक्षम प्राधिकारी/संस्था से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
		खातेदारी	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	भूमि उपहार में लेना – किसी भी परिसम्पति निर्माण हेतुदान–दाताओं से भूमि संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग द्वारा दान/उपहार स्वरूप ली जा सकती है। यह कार्यवाही तब ही पूर्ण मानी जावेगी जब भूमि के सभी स्वामियों द्वारा पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज निष्पादित कर दिये गये है एवं इस भूमि का नामान्तरण भी संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं भूमि की तरमीम करवा कर सीमा ज्ञान करवा दिया गया है। किसी भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियो / परिवारो का मालिकाना हक होने पर सभी भूमि–स्वामियों की सहमति ली जा कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणिकरण अनिवार्य होगा।
9	खेल मैदान विकास	खातेदारी	अनुमत नही	कोई व्यवस्था नही	भूमि उपहार में लेना – किसी भी परिसम्पति निर्माण हेतुदान–दाताओं से भूमि संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग द्वारा दान/उपहार स्वरूप ली जा सकती है। यह कार्यवाही तब ही पूर्ण मानी जावेगी जब भूमि के सभी स्वामियों द्वारा पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज निष्पादित कर दिये गये है एवं इस भूमि का नामान्तरण भी संबंधित पंचायत अथवा लाईन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं भूमि की तरमीम करवा कर सीमा ज्ञान करवा दिया गया है। किसी भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियो / परिवारो का मालिकाना हक होने पर सभी भूमि–स्वामियों की सहमति ली जा कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणिकरण अनिवार्य होगा।

(कृष्ण कुणाल)
शासन सचिव,ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, परावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रावि/पराविं।
6. अधिशाषी अभियंता(अभिं), जिला परिषद् समस्त।
7. प्रोग्रामर, ग्राविवि को विभागीय वेबासाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Krishna Kunal
Designation : Secretary To Government
Date :29-04-2026 10:16:35

RajKaj Ref No.: 21852567
eSign DSC